सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 202 दर्ज तिथिः—21.05.2025

1. फगलूराम पुत्र पूराराम
2. कानाराम पुत्र पूराराम
3. मोहनराम पुत्र पूराराम
4. रवाराम पुत्र मलाराम
5. राणाराम पुत्र पूराराम
6. सोनाराम पुत्र पूराराम

जाति मेघवाल निवासी उदाणियों की ढाणी, डाबड़ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............प्रार्थीगण

बनाम

1. गोवाराम पुत्र केहराराम
2. चेलाराम पुत्र भावाराम
3. राधा पुत्री केहराराम
4. दाड़मीदेवी पत्नी सोहनलाल
5. कुलदीप पुत्र सोहनलाल
6. पूजा पुत्री सोहनलाल
7. प्रवीण पुत्र सोहनलाल (अप्रार्थी संख्या 05 ता 07 नाबालिग की कुदरती वली माता अप्रार्थी संख्या 04)

जाति मेघवाल निवासी उदाणियों की ढाणी, डाबड़ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

8. तहसीलदार गुड़ामालानी

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:52 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–01.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
    - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1651 / 1474 / 1.8993 है0, 1652 / 1475 / 1.8993 है0 मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल मौखावा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
    - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1650 / 1475 / 1.8994 है0 मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल मौखावा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
    - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी का मूल खसरा संख्या 1475 एक ही था। तत्पश्चात् उक्त आराजी के विभाजन के समय प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1651 / 1474 / 1.8993 है0, 1652 / 1475 / 1.8993 है0 मौजा उदाणियों की ढाणी एवं अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1650 / 1475 / 1.8994 है0 मौजा उदाणियों की ढाणी का रकबा तो राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज किया गया। परंतु मेगा हाईवे पर उक्त तीनों खसरों की तरमीम मौके कब्जानुसार नहीं कर मौके से भिन्न तरमीम अंकित कर दी गई।
    - कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1651 / 1475 के लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम 44 मीटर के स्थान पर 46 मीटर व खसरा संख्या 1652 / 1475 के लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम 44 मीटर के स्थान पर 41 मीटर एवं इसी प्रकार अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1650 / 1475 के लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम 44 मीटर के स्थान पर 45 मीटर कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
    - कि असल में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की तरमीम परिशिष्ट–बी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी प्रस्तावित थी। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की तरमीम विभाजन प्रस्ताव, कब्जा काश्त व परिशिष्ट–बी के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / आर.ए. / 2025 / 1278 दिनांक 31.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:52 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम के परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

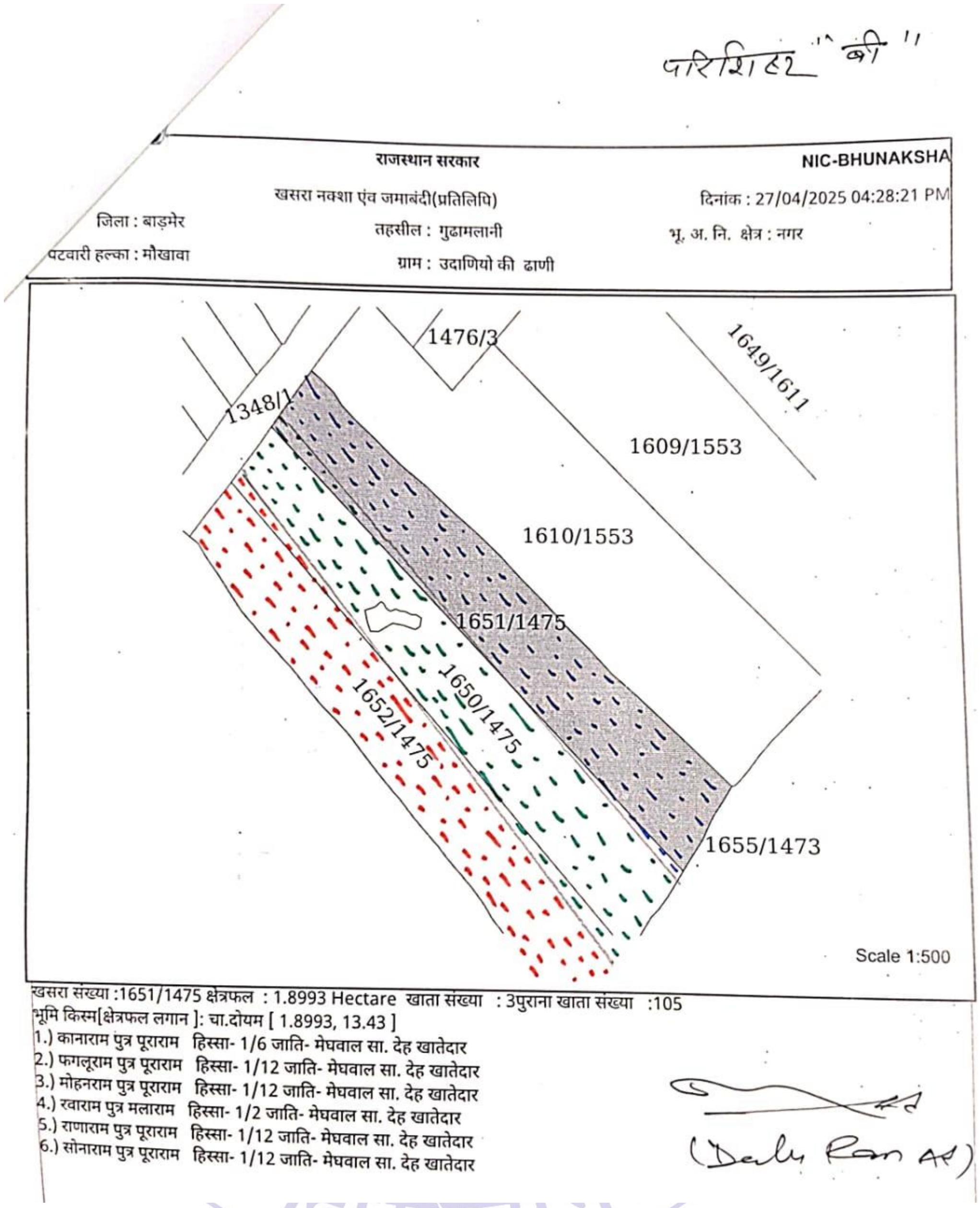

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1278 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1278 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1278 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1278 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:52 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1278 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:52 IST
Reason: SelfAttested